

परी
नियत

2-3-22

2-3-22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील
अनुपस्थित। पत्रावली 27-4-22
को पेश है।

Wp

27-4-22 पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील
अनुपस्थित। न्यायालय सभ्य
में रोक रोक कर बार बार आज्ञा
पत्रावली मांगी। परन्तु न्यायो
वादी वकील और न्यायी स्वयं
वादी उपस्थित हैं। आज पत्रावली
सिगिल प्राकृतिक संहिता के कोदेश
9 नियम 3 (अदम्य पैसी अदम्य दायरी)
के तहत स्वीकार की जाती है।
पत्रावली फैसल में शुमार है
गम्बर से कम की जाकर दारिबल
रफ्तार है।

Wp

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

